

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- लेखा/रोकड/2025/

दिनांक:-

पोस्ट मास्टर

राज. सचिवालय एस.ओ.

जयपुर। 302005

विषय- POSB/PLI कैम्प लगाने के लिये सहमति प्रदान किये जाने हेतु।

संदर्भ:- आपका पत्रांक राज./sectt-/SB/2025-26/e-1/14.3.26 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका पत्रांक राज./sectt-/SB/2025-26/e-1/ दिनांक 14.03.26 के क्रम में ई-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कैनोपी के लिये दिनांक 16.03.2026 से 30.03.2026 तक कैम्प लगाने हेतु सहमति चाही है।

अतः आप द्वारा दिनांक 23.03.2026 से 30.03.2026 तक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिसर में कैम्प लगाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

राज्य कुष्ठरोग अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 18.3.26

क्रमांक:- लेखा/रोकड/2025/ 68

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) निदेशालय मुख्यालय।
2. निजी सचिव, निदेशक (अराजपत्रित) निदेशालय मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) निदेशालय मुख्यालय।
4. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि उक्त पोस्ट ऑफिस के कैम्प में अधिक से अधिक भाग लेकर योजना का लाभ प्राप्त करें।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करावे।

राज्य कुष्ठरोग अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर